उसका निशानदेही पर ... ने बताया कि उसे रविशंकर उर्फ सम्राट ने ... देने के लिए कहा था। रविशंकर के सहयोगी ... कॉलेज के छात्र सौरभ ने उससे संपर्क किया ... ने ... कंपनी के कर्मियों के अलावा उसने ... मेडिकल कॉलेज के छात्र अश्विनी को भी ... रूप में तैनात कराया था, ताकि बिना जांच के अंदर प्रवेश दिलाने में कोई परेशानी न हो।

कई अहम जानकारियां दी हैं।

असली छात्र के बदले दूसरे छात्र के ... देने के मामले में नौ लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। जल्द ही और खुलासे होंगे। पुलिस मोबाइल कॉल डिटेल्स, टैब व अन्य तकनीकी पहलुओं के सहारे काम कर रही है। - **शैलेंद्र कुमार**, डीएम, लखीसराय

हाल के सालों में फाइनल इयर तक जाते-जाते बहुत छात्र फेल हो रहे हैं। 2021 बैच के करीब 22 छात्र अकेले मेडिसिन की फाइनल परीक्षा में फेल हुए हैं। फर्स्ट और सेकेंड इयर में भी यही हाल है। अब तो पीजी में भी छात्र फेल होने लगे हैं। आमतौर पर नहीं होता था। - **डॉ. राजकमल चौधरी**, एचओडी, मेडिसिन, जेएलएनएमसीएच

अचानक तेज दर्द शुरू हुआ। उल्टी होने लगी। परिजनों ने उसे दवा दी। आराम करने की सलाह दी। रात में तबीयत अधिक बिगड़ने पर उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। मंगलवार सुबह अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

देश के ... : प्रदीप

..., गौरव राय व अन्य।

... स्वर्णिम बताते हुए कहा, ... दृष्टिकोण से जिले ... को नई दिशा मिली। ... समारोह में डीआरडीए के ... एवं दुर्गा प्रसाद, अपर ... पदाधिकारी गौतम ... अभियंता मौजूद थे। ... जिला पार्षद सोनी ... आजमी, अरुण दास, ... रामानंद सुजीत, आशा ... प्रकाश मंडल सहित ... के प्रतिनिधि विजय ... भारद्वाज, मनोहर मंडल ... कर्मियों ने निवर्तमान ... भविष्य के लिए

... अर्पित की

... श झा

... स्तर की सक्रियता पर होगा फोकस

... भाजपा शीर्ष नेतृत्व अब ... भागलपुर में केवल ... जिला अध्यक्ष के भरोसे ... रहने के बजाय ... सामूहिक जिम्मेदारी और ... स्तर की सक्रियता ... पर फोकस कर रहा है। ... प्रदेश महामंत्री का यह ... बयान कि 'पद स्टेटस ... सिंबल नहीं है', सीधे ... पर स्थानीय नेताओं ... गुटबाजी छोड़ ... धरातल पर काम करने ... का कड़ा संदेश है। इसी ... के तहत पार्टी रणनीति ... तैयार कर रही है।

अधीक्षक ने मेडिसिन व शिशु रोग विभागाध्यक्षों के साथ की समीक्षा बैठक, तीन महीने की मांगी रिपोर्ट

हीमोफीलिया की दवा फैक्टर-08 इंजेक्शन पर सख्ती

हेल्थ रिपोर्टर | भागलपुर

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (मायागंज) के अधीक्षक डॉ. एचपी दुबे ने मंगलवार को हीमोफीलिया और थैलेसीमिया मरीजों के इलाज में उपयोग होने वाले फैक्टर-08 इंजेक्शन के वितरण की समीक्षा की। बैठक में उपाधीक्षक के अलावा मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. राजकमल चौधरी और शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉ. अंकुर उपस्थित थे। अधीक्षक ने दोनों विभागों से पिछले तीन महीनों के दौरान मरीजों को दिए गए फैक्टर-08 इंजेक्शन का विवरण बेड टोकन नंबर सहित मांगा। विभागाध्यक्षों ने लिखित रूप से इसका रिकॉर्ड उपलब्ध कराया। हाल के दिनों में इंजेक्शन के उपयोग व वितरण व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बाद यह समीक्षा की। शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉ. अंकुर ने बताया कि पिछले तीन महीनों में एक माह तक अस्पताल में यह इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था। उपलब्ध स्टॉक का उपयोग नियमानुसार किया गया है। विभाग में कोई लापरवाही नहीं हुई है। थैलेसीमिया डे-केयर सेंटर और मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. राजकमल चौधरी ने बताया कि प्राप्त सभी इंजेक्शनों का उपयोग निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया गया। बता दें कि दैनिक भास्कर अखबार ने इंजेक्शन के इस्तेमाल को लेकर खबर प्रकाशित की थी।

भर्ती मरीजों को ही मिलेगा इंजेक्शन

भविष्य में दवा वितरण की निगरानी और रिकॉर्ड संधारण को और मजबूत बनाने के लिए अधीक्षक डॉ. एच.पी. दुबे ने निर्देश दिया है कि अब फैक्टर-08 इंजेक्शन केवल अस्पताल में भर्ती मरीजों को ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही दवा वितरण का पूरा रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा तथा प्रत्येक 15 दिन पर इसकी रिपोर्ट अधीक्षक कार्यालय को भेजना अनिवार्य होगा।

बैंक ऑफ इंडिया
Bank of India
Relationships beyond banking.....

बैंक ऑफ इंडिया

आंचलिक कार्यालय - भागलपुर अंचल, देवदूत कॉम्प्लेक्स,
द्वितीय तल, राधा रानी सिन्हा रोड, भागलपुर - 812001

[नियम 8(6) के परंतुक देखें]

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

(वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के अधीन) सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(ओं) को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पक्ष में बंधक/प्रभारित है तथा जिसका सांकेतिक कब्जा सुरक्षित ऋणदाता बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा ग्रहण किया जा चुका है, उक्त संपत्ति का विक्रय दिनांक 09.07.2026 को "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है" तथा "जो कुछ है उसी आधार पर" किया जाएगा। उक्त विक्रय श्री अशोक कुमार भगत से सुरक्षित ऋणदाता बैंक ऑफ इंडिया को देय 2,23,411.00 (रुपये दो लाख तेईस हजार चार सौ ग्यारह मात्र) तथा उस पर देय अप्रभारित ब्याज एवं अन्य प्रभारों की वसूली हेतु किया जा रहा है। उक्त संपत्ति का आरक्षित मूल्य 7.74 लाख (रुपये सात लाख चौहत्तर हजार मात्र) निर्धारित किया गया है तथा बयाना राशि (धरोहर जमा राशि) 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) निर्धारित की गई है।

उधारकर्ता / बंधक संपत्ति का विवरण / निरीक्षण तिथि / ई-नीलामी तिथि / आरक्षित मूल्य और ईएमडी.

तिथि, ई-नीलामी का समय : दिनांक 09.07.2026 को सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक। इसके बाद 10 मिनट के तीन विस्तार

संपत्ति की निरीक्षण की तिथि एवं समय : 08.07.2026 को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक, भागलपुर अंचल (बिहार) के प्राधिकृत अधिकारी के परामर्श से

क्रम सं0	शाखा	उधारकर्ता / गारंटीदाता	आस्ति / संपत्ति का विवरण	1. आरक्षित मूल्य 2. ईएमडी 3. कब्जा का प्रकार
1	किशनगंज	कर्जदार : श्री अशोक कुमार भगत पिताः लक्ष्मी प्रसाद भगत, वार्ड नं0-07, उत्तर ठाकुर बाड़ी रोड, जिला- किशनगंज सह कर्जदारः श्रीमति नीलम, पति- अशोक कुमार भगत, वार्ड नं0- 07, उत्तर ठाकुर बाड़ी रोड, जिला-किशनगंज कुल बकाया राशिः 2,23,411.00/- (दो लाख तेईस हजार चार सौ ग्यारह रुपये मात्र) तथा इसके अतिरिक्त अप्रभारित ब्याज एवं अन्य शुल्क देय हैं, जैसा कि दिनांक 30-12-2014 को नियम 13(2) के अंतर्गत जारी नोटिस में उल्लिखित है। साथ ही, उक्त राशि पर अर्जित ब्याज एवं उससे संबंधित समस्त लागत एवं प्रभार भी देय होंगे।	संपत्ति की स्वामी : श्री अशोक कुमार भगत, पिता - लक्ष्मी प्रसाद भगत। भूमि एवं भवन के स्वामित्व का सभी भाग जो श्री अशोक कुमार भगत, पिता - लक्ष्मी प्रसाद भगत के नाम पर बंधक है, जो मौजा - सुंदरयान, थाना संख्या - 110, वार्ड संख्या - 22/10, सुंदरयान, उप निबंधन कार्यालय एवं जिला - किशनगंज में स्थित है। भूमि का विवरण इस प्रकार हैः तौजी संख्या - 07, खाता संख्या - 41 (पुराना) / 88 (नया), खेसरा संख्या - 341 (पुराना) / 399 (नया), कुल रकबा - 02 डिसमिल एवं 06 कड़ी। उक्त संपत्ति श्री अशोक कुमार भगत, पिता - लक्ष्मी प्रसाद भगत के नाम विक्रय विलेख संख्या 2595 दिनांक 13-04-2009 के माध्यम से दर्ज है। जमीन की चौहद्दी मुल्यांकन के अनुसारः उत्तर - रमेश प्रसाद साह, दक्षिण - रमेश प्रसाद साह, पूर्व - पक्का रोड, पश्चिम - रूप लाल राय	1. आरक्षित मूल्य - रू. 7.74 लाख (सात लाख, चौहत्तर हजार रूपये मात्र) 2. जमा धरोहर राशि (ईएमडी) - रू. 1.00 लाख (एक लाख रूपये मात्र) 3. भौतिक

विक्रय से संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए सुरक्षित ऋणदाता बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध है।

स्थान : पुर्णिया
दिनांक : 23.06.2026

नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

प्राधिकृत पदाधिकारी
बैंक ऑफ इंडिया